

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गृह विभाग,
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2024

विषय:- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से बचाव एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु पी०ए०सी० एवं जल पुलिस के उपयोगार्थ विशेषीकृत सुरक्षा उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-उप० प्रको०-207-2023(महाकुम्भ-2025/पी०ए०सी०), दिनांक 05-06-2024, जो प्रमुख सचिव, गृह को सम्बोधित एवं राजस्व विभाग सहित अन्य को पृष्ठांकित है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान वृहद स्तर पर तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों के एकत्रित होने के कारण किसी भी आपदा से निपटने हेतु पूर्व तैयारी के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण के अनुसार पी०ए०सी० एवं जल पुलिस के उपयोगार्थ विशेषीकृत सुरक्षा उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु कुल धनराशि ₹ 31,46,70,000/- (इकतीस करोड़ छियालीस लाख सत्तर हजार) की वित्तीय स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

आगामी कुम्भ मेला हेतु पी०ए०सी० हेतु 2024-25 में प्रस्तावित उपकरणों का विवरण				
क्र०	उपकरण का नाम (पीएसी हेतु)	प्रस्तावित संख्या	प्रस्तावित प्रति यूनिट दर (₹० में)	प्रस्तावित कुल धनराशि (₹० में)
1	एफआरपी स्पीड मोटर बोट मीडियम 06 सीटर मय 50 एचपी ओवीएम	10	15,00,000/-	1,50,00,000/-
2	रबराइज्ड मोटर बोट मय 30 एचपी ओवीएम	10	6,00,000/-	60,00,000/-
3	लाइफ ब्याय	170	2,000/-	3,40,000/-
4	लाइफ जैकेट	250	2,000/-	5,00,000/-
5	पेट्रोल, ट्रूटी आयल, मोवी आयल	-	-	6,00,000/-
	योग			2,24,40,000/-

आगामी कुम्भ मेला हेतु जल पुलिस प्रयागराज हेतु 2024-25 में प्रस्तावित उपकरणों का विवरण				
क्र०	उपकरण का नाम (ज०पु० हेतु)	प्रस्तावित संख्या	प्रस्तावित प्रति यूनिट दर	प्रस्तावित कुल धनराशि

1	डीप वाटर बैरिकेटिंग मय जाल व लंगर सहित 05 किमी तक	08 km	1,00,00,000/-	8,00,00,000/-
2	फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन मय कन्ट्रोल रूम	2	80,00,000/-	1,60,00,000/-
3	वाटर स्कूटर	25	25,00,000/-	6,25,00,000/-
4	एफआरपी स्पीड मोटर बोट मीडियम 06 सीटर मय 50 एचपी ओबीएम	11	15,00,000/-	1,65,00,000/-
5	ओबीएम 50 एचपी	4	6,50,000/-	26,00,000/-
6	ओबीएम 30 एचपी	4	4,50,000/-	18,00,000/-
7	वाटर एम्बुलेंस	4	60,00,000/-	2,40,00,000/-
8	पेट्रोल, टूटी आयल, मोबी आयल	-	-	45,00,000/-
9	पुरानी बोट व उपकरणों की मरम्मत	-	-	5,00,000/-
10	चापू नाव (लकड़ी)	10	1,00,000/-	10,00,000/-
11	रिचार्जबल मोबाइल रिमोट एरिया लाइटिंग सिस्टम	25	1,70,000/-	42,50,000/-
12	एनाकोण्डा मोटर बोट मय चेन्जिंग रूम सहित	4	20,00,000/-	80,00,000/-
13	जेटी मय गैंग-वे रेलिंग सहित	4	25,00,000/-	1,00,00,000/-
14	रीवर लाईन	2 km	50,00,000/-	1,00,00,000/-
15	डाइविंग मय किट मास्क	100	2,00,000/-	2,00,00,000/-
16	कम्प्रेसर मशीन	5	5,00,000/-	25,00,000/-
17	स्मार्ट फोन	20	10,000/-	2,00,000/-
18	लाईफ ब्याय	440	2,000/-	8,80,000/-
19	लाईफ जैकेट	3,000	2,000/-	60,00,000/-
20	रेस्क्यू ट्यूब	415	10,000/-	41,50,000/-
21	थ्रो बैग विथ रोप	200	6,000/-	12,00,000/-
22	टावर लाईट सिस्टम	29	4,50,000/-	1,30,50,000/-
23	अन्डर वाटर ड्रोन	1	5,00,000/-	5,00,000/-
24	सोनार सिस्टम	1	15,00,000/-	15,00,000/-
25	कम्प्यूटर मय सहवर्ती उपकरण	5	60,000/-	3,00,000/-
26	लैपटाप मय प्रिन्टर	5	60,000/-	3,00,000/-
	योग			29,22,30,000/-
	महायोग			31,46,70,000/-

2- अवगत कराना है कि उक्त प्रस्तर-1 की तालिका-1 में क्रमांक-5 व तालिका-2 में क्रमांक-8 पर पेट्रोल, टूटी ऑयल, मोबीऑयल के लिये क्रमशः ₹0 6.00 लाख व ₹0 45.00 लाख तथा तालिका-2 में क्रमांक-9 पर पुरानी बोट व

उपकरणों के मरम्मत हेतु ₹ 5.00 लाख की मांग की गयी है, जबकि राज्य आपदा मोचक निधि की क्षमता निर्माण की गाइडलाइन दिनांक 22-04-2022 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि इस निधि का उपयोग ईंधन, मरम्मत एवं रख-रखाव में नहीं किया जायेगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 08.02.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा गृह विभाग एवं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महाकुम्भ मेला 2025 के दौरान आपदा की स्थिति में तीर्थयात्रियों/पर्यटकों की सुरक्षा एवं आपदा से बचाव हेतु पूर्व तैयारी एवं क्षमता निर्माण (preparedness and capacity building) हेतु पी०ए०सी० एवं जल पुलिस के उपयोगार्थ उक्त प्रस्तर-1 की तालिका-1 में क्रमांक-5 तथा तालिका-2 में क्रमांक-8 (पेट्रोल, ट्रैडी ऑयल, मोवीऑयल के लिये क्रमशः ₹ 6.00 लाख व ₹ 45.00 लाख) व क्रमांक-9 (पुरानी बोट व उपकरणों के मरम्मत हेतु ₹ 5.00 लाख) पर वर्णित आइटम को छोड़कर विशेषीकृत सुरक्षा उपकरणों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से कुल धनराशि ₹ 30,90,70,000/- (तीस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रमुख सचिव, गृह विभाग के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध

1. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार किया जायेगा। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइंस के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
2. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरण आदि सामग्री का उपयोग केवल कुम्भ के दौरान ही नहीं अपितु किसी समय किसी भी आपदा के घटित होने पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग द्वारा सक्रिय रूप से किया जायेगा, जिससे आपदा के दौरान जनहानि, धनहानि को न्यूनतम करने के लिए सेण्डई फ्रेमवर्क के निर्धारित लक्ष्य को वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जा सके।
3. राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
4. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
5. क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईंधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
6. महाकुम्भ मेला-2025 की समाप्ति के उपरान्त भविष्य में उपरोक्त उपकरणों/वाहनों का आपदा सुरक्षा एवं बचाव हेतु समुचित उपयोग का उत्तरदायित्व अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र०, लखनऊ का होगा।
7. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
9. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
10. जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि से क्रय किये गये उपकरणों के रख रखाव एवं पी०ओ०एल० संबंधी व्यय विभागीय बजट से किया जायेगा।

12. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।
13. अनुमोदित कार्य योजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का सञ्चालन एवं रखरखाव अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
14. राज्य आपदा मोचक निधि के संबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइड लाईन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जायेगी।
15. प्रश्रुत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि को समयबद्ध रूप से पूर्ण रूप में व्यय किये जाने हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए उनकी जिम्मेदारी इस संबंध में सुनिश्चित की जाय ताकि राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग समयबद्ध रूप से हो सके और नोडल अधिकारी को राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रु० 30,90,70,000/- (तीस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05 प्राकृतिक विपत्तियों से राहत-800-06-0610 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
Ram Kewal (राम केवल)
Date: 18-06-2024 17:25:18
मुख्य सचिव।

संख्या:-1029(1)/एक-10-2024 तद्विनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र०।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, पी०ए०सी०, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- राहत आयुक्त कार्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 10- गाईड फाइल।

Signed by
Shailendra Mani (शैलेन्द्र मणि विपाठी)
Date: 18-06-2024 17:34:00
मुख्य सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-11/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1029
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1029
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2495-डी0 आई0 जी0 - पीएसी मुख्या0-सेक्टर -जोन कार्या0 , --01--	वर्तमान प्रगामी	309070000 309070000	309070000 309070000
	योग	वर्तमान प्रगामी	309070000 309070000	309070000 309070000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीस करोड़ नब्बे लाख सत्तर हजार


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन